न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–2, औरैया

सत्र विचारण सं0–64/2017

राज्य बनाम रामबाबू आदि

दिनांक–21.05.2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 कागज सं0 25ख का निस्तारणः–

यह प्रार्थना पत्र 25ख वादी मुकदमा विपिन कुमार के भाई नीरज कुमार की ओर से दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 319 के अन्तर्गत हरिओम, मदनलाल, सन्जू, पुष्पेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ काजू एवं राजू को सह अभियुक्त रामबाबू आदि के साथ विचारण हेतु तलब किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0, 1973 कागज सं0 25ख के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का भाई विपिन कुमार उपरोक्त मुकदमे में वादी है तथा प्रार्थी चुटहिल साक्षी है। उपरोक्त मुकदमे के वादी व प्रार्थी द्वारा उपरोक्त मुकदमें के अपराध संख्या की प्रथम सूचना में नामित सभी व्यक्तियों के नाम व अन्य चुटहल विपिन, नीरज, अजब सिंह, जगदम्बासिंह के बयानों में प्रथम सूचना में नामित व्यक्तियों के नाम धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों में बताये गये तथा न्यायालय में साक्षी विपिन कुमार व चोटिल नीरज के बयानों में सभी नाम जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताये गये है। विवेचक द्वारा जानबूझकर मनमाने तरीके से अभियुक्तगण हरिओम, मदनलाल, सन्जू, पुष्पेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ काजू व राजू के नाम निकाल दिये हैं। निकाले गये सभी अभियुक्तगण के खिलाफ दिनांक 08.02.2013 को 82 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही की गयी, जिसका विवेचना में एस0सी0डी0 पर्चा–तीन में उल्लेख किया गया है। विवेचक द्वारा गलत तथ्यों पर विवचेना में प्रथम सूचना में नामित व्यक्तियों के नाम निकाल दिये गये हैं। न्यायालय के समक्ष पी0डब्लू0–1 विपिन कुमार व पी0डब्लू0–2 नीरज कुमार का बयान अंकित हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों द्वारा घटना कारित की गयी थी उनके नाम तहरीर में लिखाए व विवेचक को अपने बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों में उनके द्वारा घटना कारित करने का बयान दिया है तथा माननीय न्यायालय में दोनों साक्षीगण ने अपने बयानों में आरोपित अभियुक्तगण के अलावा हरिओम, मदनलाल, सन्जू, पुष्पेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ काजू एवं राजू के बाबत घटना कारित करने का साक्ष्य दिया है। इनके खिलाफ पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए विचारण हेतु तलब किया जाना अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त सत्र विचारण में हरिओम, मदनलाल, सन्जू, पुष्पेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ काजू एवं राजू को विचारण हेतु तलब किए जाने की कृपा करें।

मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सविस्तार सुना तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

चूंकि अभियुक्तगण/प्रस्तावित अभियुक्तगण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0, 1973 के निस्तारण के समय सुने जाने का अधिकार (Locus

standi) नहीं है। अतः अभियुक्तगण/प्रस्तावित अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को नहीं सुना गया।

विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 13.11.2012 की सुबह उपरोक्त अभियुक्तगण अन्य सहअभियुक्तगण के साथ वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसके पिता, भाई व अन्य घर के सदस्यों के साथ मारपीट करने लगे और उन्हें लहुलूहान कर दिया, जिससे उनकों गम्भीर चोटें आयी और घर में रखे सूटकेस को तोड़कर 40 हजार रूपये और लगभग 3 लाख का जेवर भी ले गये। उपरोक्त अभियुक्तगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है, लेकिन उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्वेषण के दौरान पर्याप्त सामग्री व साक्ष्य होने पर भी पुलिस के द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोप विरचित किये जाने के पश्चात न्यायालय के समक्ष आहतगण/पी0डब्लू0–1 विपिन कुमार, पी0डब्लू0–2 नीरज कुमार उर्फ नीलू एवं पी0डब्लू–3 अजब सिंह के रूप में बयान हुए, उन्होंने अपने न्यायालय के सक्ष्य दिये गये बयान में उपरोक्त अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता बतायी, जिसकी पुष्टि अन्य साक्ष्य से भी होती है। अतः अभियुक्तगण हरिओम, मदनलाल, सन्जू, पुष्पेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ काजू एवं राजू को दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 319 के अन्तर्गत सहअभियुक्तगण रामबाबू आदि के साथ विचारण हेतु तलब किया जाये।

मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीरी का भी सम्यक परिशीलन किया। एफ0आई0आर0 तहरीरी में अभियुक्तगण रामबाबू आदि एवं अभियुक्तगण हरिओम, मदनलाल, सन्जू, पुष्पेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ काजू एवं राजू के द्वारा अपराध कारित किये जाना स्पष्टतः बताया गया है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में ये नामित अभियुक्तगण हैं, लेकिन आरोप पत्र केवल अभियुक्तगण रामबाबू, कमलेश, जयवीर, फूल सिंह, बलवीर सिंह, अजीत एवं रंजीत के विरूद्ध ही भा0दं0सं0, 1860 की धारा 147, 148, 323, 308, 452, 504, 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का प्रस्तुत किया गया है।

मैंने विचारण के दौरान परीक्षित साक्षीगण विपिन कुमार, नीरज कुमार उर्फ नीलू एवं अजब सिंह के न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान एवं धारा 161 दं0प्र0ंस0, 1973 के अन्तर्गत दिये गये बयानों का सम्यक परिशीलन किया।

उपरोक्त साक्षीगण के न्यायालय में दिये गये सशपथ बयानों एवं धारा 161 दं0प्र0सं0, 1973 में दिये गये बयानों से स्पष्ट है कि ये सभी साक्षीगण आहत/चुटहिल हैं और घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण है। इन सभी साक्षीगण ने उपरोक्त अभियुक्तगण हरिओम, मदनलाल, सन्जू, पुष्पेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ काजू एवं राजू द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर घर में घुसकर उनके व उनके परिवारीजन के साथ मारपीट करने, भद्दी–भद्दी गालियां देने तथा जान से मारने की धमकी देने का साक्ष्य दिया है तथा अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता बतायी है। इस प्रकार इन साक्षीगण के बयानों से अभियुक्तगण हरिओम, मदनलाल, सन्जू, पुष्पेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ काजू एवं राजू निवासीगण सेऊपुर थाना फफूँद, जिला औरैया के विरूद्ध भा0दं0सं0, 1860 की धारा 147, 148, 452, 323/149, 308/149, 504, 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध प्रथम दृष्टया अपराध से अधिक मामला बनता है।

इस सम्बन्ध में मैंने निर्णयज विधि हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य (2014) 2 S.C.C. (कि0) 86 (संविधान पीठ) का सम्यक् परिशीलन किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 319 के अन्तर्गत अभियुक्त को तबल किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया अपराध से अधिक मामला बनना चाहिए और विचारण के दौरान आयी साक्ष्य की पुष्टि अन्वेषण/जांच एवं विचारण के दौरान अन्य साक्ष्य से होनी चाहिए तथा न्यायालय को उक्त धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को तलब किये जाने हेतु साक्षी की प्रतिपरीक्षा पूर्ण होने तक प्रतीक्षा नहीं करनी है। मात्र मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान के आधार पर ही ऐसे व्यक्ति को जिसकी अपराध में संलिप्तता पायी जाये तलब किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी विचारण के दौरान पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 एवं पी0डब्लू0–3 द्वारा दिये गये साक्ष्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य अर्थात चिकित्सीय साक्ष्य अर्थात आहतगण की चिकित्सीय आख्याओं से होती है। जगदम्बा राजपूत के जबड़े के सीधे हिस्से में अस्थि भंग **(Fracture body of mandible on right side)** पाया गया।

मैंने आहतगण की चिकित्सीय आख्याओं का सम्यक परिशीलन किया। आहगतगण जगदम्बा सिंह, विपिन कुमार, नीरज कुमार उर्फ नीलू एवं अजब सिंह की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा उनके शरीर पर कई–कई चोटें दर्शायी गयी हैं। प्रस्तुत प्रकरण में आहतगण के द्वारा विचारण के दौरान दी गयी साक्ष्य व चिकित्सीय आख्याओं में समरूपता है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितियों, निर्णयज विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्तगण हरिओम, मदनलाल, सन्जू, पुष्पेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ काजू एवं राजू निवासीगण सेऊपुर थाना फफूँद, जिला औरैया के विरूद्ध भा0दं0सं0, 1860 की धारा 147, 148, 452, 323/149, 308/149, 504, 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध प्रथम दृष्टया से अधिक का मामला बनता है। अभियुक्तगण हरिओम, मदनलाल, सन्जू, पुष्पेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ काजू एवं राजू के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0, 1973 का0 सं0–25ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0, 1973 का0सं0–25ख स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण हरिओम, मदनलाल, सन्जू, पुष्पेन्द्र, राजेन्द्र उर्फ काजू एवं राजू निवासीगण सेऊपुर थाना फफूँद, जिला औरैया को भारतीय दण्ड संहिता 1860, की धारा–147, 148, 452, 323/149, 308/149, 504, 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में सह अभियुक्तगण रामबाबू, जयवीर, फूल सिंह, बलवीर, अजीत एवं रंजीत के साथ विचारण हेतु जरिए समन तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त दिनांक–05.06.2018 को पेश हो। अभियुक्तगण को समन जारी हो।

दिनांक–21.05.2018

(राज बहादुर सिंह मौर्या)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–2,
औरैया।